प्रकरण संख्या 2/2022 चारभुजा जी बनाम श्रीमती पार्वती देवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा में आराजी नंबर 15, 350, 519, 520, 550, 560, 578, 589 कुल किता 8 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात मेवाड़ सेटलमेन्ट अनुसार उक्त आराजियात वादी चारभुजा जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज शिकमी दर्ज थे तथा केवल मात्र पूजा करने के बदले उक्त भूमियों के उपयोग–उपभोग का अधिकार उन्हें था, किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार नहीं थे। प्रतिवादीगण विधि विपरीत उक्त आराजियात अपने नाम दर्ज करवा ली है तथा विक्रय करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 28.02.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में मंदिर के नाम घोषणा किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है और उक्त वाद राज्य सरकार के द्वारा पूर्व जारी परिपत्र के तहत प्रस्तुत हुआ है तथा राज्य सरकार एवं राजस्व मण्डल के नवीन परिपत्र दिनांक 06.01.2010 के अनुसार अब यह वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि मंदिर की भूमि बताकर तहसीलदार नाथद्वारा ने एक रेफ्रेरेन्स प्रार्थना पर जिलाधीश राजसमन्द में प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 8/2009 होकर दिनांक 16.11.2010 को प्रार्थना पत्र उक्त आधारों पर ही निरस्त किया जा चुका है। अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी ने जिस परिपत्र का हवाला दिया है, उसमें स्पष्ट है कि जो मंदिर माफी की भूमि में जागीरदारियों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की जो भूमि किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी, पट्टेदार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उसमें उन खातेदारों का पूर्व उत्तराधिकार हो जायेगा एवं भूमि के अधिकार प्राप्त होंगे, परन्तु वाद पत्र में ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है। उक्त रेफ्रेरेन्स में वादी पक्षकार नहीं होने से वादी के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 27.03.2012 को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा दिनांक 03.01.2022 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। दिनांक 20.12.2021 को रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट से कहा कि जमीन बेच रहे हैं, हमारे हक में फैसला हो चुका है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है, जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2012 की जानकारी अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को शुरू से ही थी। अपीलान्ट ने अपनी मनमर्जी ने बिना कोई ठोस कारण बताये 10 वर्षो की मयाद को कण्डोन कराना चाहता है, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील के मामले में [illegible] को ठोस एवं संतोषप्रद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

कारण होना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील मात्र रेस्पोन्डेन्टगण को परेशान करने के उद्देश्य से बिना कोई ठोस व पर्याप्त कारण बताये 10 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जबकि स्वयं अपीलान्ट के प्रतिनिधि भरत कुमार जोशी ने दिनांक 16.06.2014 को समस्त पत्रावली की नकल के साथ उक्त निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आप न्यायालय में भी जो निर्णय व डिक्री की नकल प्रस्तुत की गयी है, उसमें नकल हेतु आवेदन कब प्रस्तुत किया तथा उन्हें नकल कब प्राप्त हुई, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2012 (2) RRT Page 1177, 2012 (1) RRT Page 569, 2018 (1) RRT Page 188, 2021 (2) RRT Page 1318 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। हालांकि अपील करीब 10 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, लेकिन अपीलान्ट चारभुजा शाश्वत नाबालिग की तरफ से अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि संवत् 1997 की जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट चारभुजा जी के नाम दर्ज थी तथा खातेदार के कोलम में चारभुजा जी स्थान देह के खुदकाश्त की जमीन थी। ऐसी जमीन के खातेदारी अधिकार किसी को नहीं दिये जा सकते, जैसाकि आर.आर. डी. 1984 पेज 1 पर लार्जर बेंच ने तय किया है। इसी बिन्दु को राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1991 पेज 6 पर तथा 1987 आर.आर.डी. पेज 161 में लार्जर बेंच ने तय किया है। इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जो रेफ्रेरेन्स का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है, जो एक समरी कार्यवाही है, जिसे रेग्युलर सूट में देखा ही नहीं जा सकता है। वैसे में रेफ्रेरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर में होता है, न कि जिलाधीश के यहां, जैसाकि धारा 82 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों से स्पष्ट है। समस्त कार्यवाही बिना किसी अधिकार के होकर एबनिशियोवोईड है, क्योंकि कानूनन बाटी की कार्यवाही में इस प्रकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

से निर्णय किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि न तो आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र था, न ही किसी धारा के अन्तर्गत फोल ही करता था, ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 46 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट एवं जागीर रिजम्पशन एक्ट तथा कानून माल मेवाड के प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना कथित निर्णय पारित किया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2007 (1) Page 728, RBJ (22) 2015 Page 486, RBJ (1) 2011 Page 515, CT 2009 (2) Page 480, RRD 1984 Page 1, RRD 1987 Page 261 पेश की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि कभी भी ठाकुरजी के नाम खातेदारी में अंकित नहीं रही है, ठाकुरजी चारभुजा स्थान देह का नाम मात्र जागीरदार और माफी के रूप में अंकित रहा है, जिन्हें मात्र जागीरदार एवं माफीदार की हैसियत ने लगान प्राप्त करने का अधिकार था। वादग्रस्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट व उनके पूर्वाधिकारियों के नाम खडमदार पट्टेदार की हैसियत से दर्ज रही है तथा कभी भी चारभुजा स्थान देह के नाम खुदकाश्त की हैसियत से दर्ज नहीं रही है, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा रेस्पोन्डेन्ट व उनके पूर्वाधिकारियों का ही रहा है। जब राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 में लागू हुआ तब जो भूमि जागीरदार एवं माफीदार के नाम खुदकाश्त की हैसियत से दर्ज नहीं थी, वहां समस्त अधिकार खड़मदार, पट्टेदार व शिकमी काश्तकार जिनका वास्तविक कब्जा था, उन्हें प्राप्त हो गये। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार जागीर भूमि व खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 क के अनुसार कतिपय खुदकाश्त के आसामियों के शिकमी आसमियों को अधिकार दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम के प्रभाव में आने के समय खुदकाश्त आसामी या शिकमी आसामी के रूप में दर्ज कर लिया गया था, को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे, जिससे भी रेस्पोन्डेन्टगण जो शिकमी आसामी की श्रेणी के हैं, उन्हें भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा एक अधिसूचना क्रमांक 636–689 दिनांक 06.01.2010 को मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था दी गयी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के खातेदार पट्टेदार अथवा खदिमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उसमें उक्त खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों को पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रेकार्ड में ऐसे व्यक्ति का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 1967 0 RLW(Raj) 253, 1969 0 RLW(RJ) 63 पेश कर उनके साथ परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा रेफ्रेरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 8/2009 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2010 की फोटो प्रति पेश की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। प्रदर्श 2 जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 1997 में विवादित भूमि अपीलान्ट चारभुजा के खातेदारी में दर्ज है तथा तथा शिकमी तथा मुर्तहीन के कॉलम में रेस्पोन्डेन्टगण के पूर्वाधिकारियों का नाम दर्ज है तथा कैफियत में माफी पूजनार्थ अंकित है। अर्थात रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी सिर्फ शिकमी तथा मुर्तहीन ही दर्ज हैं, खातेदार दर्ज नहीं होकर माफी पूजनार्थ की होकर हॉसल लेने वाले की हैसियत से दर्ज है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय यह भूमि मंदिर मूर्ति के खुदकाश्त के नाम दर्ज थी, तो खातेदारी अधिकार मंदिर मूर्ति में निहित होते हैं। काश्त पुजारी से भिन्न होने पर राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार खातेदारी अधिकारी प्राप्त होते हैं।

प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 में विवादित भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी नाथूदास पिता मोतीदास का 1/2 हिस्सा एवं उदयदास पिता मोड़ीदास, मु0 हगामी बेवा मोड़ीदास का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा विरासत से नामान्तरकरण संख्या 132 विरासत से नाथूदास के बजाय रेस्पोन्डेन्ट गणेशदास, दामोदरदास, किशनदास, गोवर्धनदास पिता नाथूदास 1/2 एवं नामान्तरकरण संख्या 142 से मु0 हगामी बेवा मोड़ीदास के बजाय उदयदास पिता मोड़ीदास के नाम दर्ज करने की स्वीकृत हुई है एवं इसके आधार पर जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट गणेशदास, दामोदरदास, किशनदास, गोवर्धनदास पिता नाथूदास 1/2 तथा उदयदास पिता मोड़ीदास 1/2 हिस्सा दर्ज है, जो बिना किसी अधिकार के है। क्योंकि विवादित आराजियात की खुदकाश्त चारभुजा जी स्थान देह दर्ज थी, प्रतिवादीगण के पूर्वधिकारी शिकमी दर्ज थे। खुदकाश्त की भूमि की मूर्ति ही खातेदार रहती है। खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण पूर्वाधिकारी का नाम कभी भी दर्ज नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि तनकीवार विवेचन किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सही विवेचन किया जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2012 प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 69/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 2/2022 चारभुजा जी बनाम श्रीमती पार्वती देवी व अन्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested